

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



निदेशक का कार्यालय  
पूर्वी मुद्रण वर्ग  
14, वुड स्ट्रीट,  
कोलकाता-700016 (प०ब०)  
दूरभाष सं०: 033-22876950  
फैक्स सं०: 033- 22834694  
ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR  
Eastern Printing Group,  
14, Wood Street  
Kolkata-700016 (W.B.)  
Phone No. 033- 22876950  
Fax No. 033- 22834694  
E-mail: epg.kol.soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 07 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 02-11-2017  
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO.07 /37-G-15(EPGRO) DATED 02-11-2017

- I. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम / द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम सर्वश्री/श्रीमती	वेतनमान	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	प्रथम / द्वितीय ए०सी०पी०
1.	यदुनाथ मण्डल, प्लेटकीपर ग्रेड-II	5000-150-8000	01-01-2005	प्रथम ए०सी०पी०
प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4349/1902-ए०सी०पी०(पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17 एवं सी-9084/1902-ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 28-09-2017)				
1.	तपन कुमार दास, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	6500-200-10500	01-01-2005	द्वितीय ए०सी०पी०
2.	जयदेव कुमार घोष, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	6500-200-10500	01-01-2006	द्वितीय ए०सी०पी०
3.	कविता दास, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	6500-200-10500	01-01-2007	द्वितीय ए०सी०पी०
4.	एस०एन० भट्टाचार्यी, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	6500-200-10500	01-01-2007	द्वितीय ए०सी०पी०

Contd..P/2.

क्र०सं०	नाम व पदनाम श्री/सर्वश्री/श्रीमती	वेतनमान	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	प्रथम / द्वितीय ए०सी०पी०
5.	रंजित कुमार मजुमदार, वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	6500-200-10500	01-01-2008	द्वितीय ए०सी०पी०
6.	अरूप कुमार दत्ता, वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	6500-200-10500	01-01-2008	द्वितीय ए०सी०पी०
प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-9290/1902-ए०सी०पी०(पू०मु०व०) दिनांक 12-10-17				

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted First / Second Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name & Designation S/Shri/Smt.	Pay Band & Grade Pay/Pay Level	Date of Grant of benefit under ACP	1 <sup>st</sup> /2 <sup>nd</sup> ACP
1.	Jadunath Mondal, Platekeeper Gde-II	5000-150-8000	01-01-2005	1 <sup>st</sup> ACP
Authority : S.G.'s letter No. C-4349/1902-ACP(EPH) dated 23-08-17 and C-9084/1902-ACP/MACP (EPG) dated 28-09-17.				
1.	Tapan Kr. Das, Sr. Rep. (Retd.)	6500-200-10,500	01-01-2005	2 <sup>nd</sup> ACP
2.	Joydev Kr. Ghosh, Sr. Rep.(Retd.)	6500-200-10,500	01-01-2006	2 <sup>nd</sup> ACP
3.	Kabita Das, Sr. Rep.(Retd.)	6500-200-10,500	01-01-2007	2 <sup>nd</sup> ACP
4.	S.N. Bhattacharjee, Sr. Rep. (Retd.)	6500-200-10,500	01-01-2007	2 <sup>nd</sup> ACP
5.	Ranjit Kr. Mazumdar, Sr.Rep.(Retd.)	6500-200-10,500	01-01-2008	2 <sup>nd</sup> ACP
6	Arup Kr. Dutta, Sr. Rep.(Retd.)	6500-200-10,500	01-01-2008	2 <sup>nd</sup> ACP
Authority : S.G.'s letter No. C-9290/1902-ACP(EPH) dated 12-10-17				

2. उपरोक्त कर्मचारियों को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम / द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First / Second Financial upgradation under ACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

- II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से **पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे** में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री यदुनाथ मण्डल	प्लेटकीपर ग्रेड-II	01-01-2013

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate is granted second Financial Upgradation under the Second Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Jadunath Mondal	Platekeeper Gde-II	01-01-2013

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4274/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017 एवं सी-9084/1902-ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 28-08-2017)

